FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pithoragarh

No **Dated**

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) Dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on the submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter Dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 9.397 hectares of forest land to be diverted in favor of **Executive Engineer, U.J.V.N.L, Division Dharchula** for **construction of 4X3000 Kilowatt Tankul Small Hydro Power Project, Tehsil Dharchula in Pithoragarh** district.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **9.397** hectares for forest area proposed for division. A copy of records of all consolations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub-division level Committee(s) and the District level committee are enclosed as annexure respectively to annexure I and II .

(b) The Proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The earth of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram sabha of .. villages(s) is enclosed as annexure- I to annexure- II.

(d) The Discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl:- As above

(Full Name and Official Seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DUPTY COMMISSIONER
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rigths) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Dr. Ranjeet Kumar Sinha**, I.A.S. deputy commissioner pithoragarh on dated 18-11-2016 at time 16.00 P.M. at **pithoragarh** in which application claiming rights in village Bung Bung to village tankul area measuring 9.397 hect. for the construction of **4X3000 Kilowatt Tankul Small Hydro Power Project** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly prosessed and recommeded by the sub divition level committee of **Dharchula** Sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made and hence district level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place....Pithoragarh....

Dated....18-11-2016...

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़ 18/11/16

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committee

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता – 4 X 3000 किलोवॉट) के नवनिर्माण हेतु वन भूमि हस्तातरण प्रस्ताव।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, धारचूला

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, धारचूला

उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता – 4 X 3000 किलोवॉट) के नवनिर्माण हेतु 0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 9.397 है0 सिविल एवं सोयम, वन भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 9.397 है0 वन भूमि का यू0 जे0 वि0 एन0 लिमिटेड खण्ड धारचूला प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील धारचूला) की दिनांक 25.07.2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री .... उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री संतोष कुमार पाण्डेय उपजिलाधिकारी धारचूला अध्यक्ष
2. श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उप प्रभागीय वनाधिकारी डीडीहाट सदस्य
3. श्री जीत राम शर्मा सहायक समाज कल्याण अधिकारी धारचूला सदस्य / सचिव
4. श्री विरदू सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र पांगला सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ में प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता -- 4 X 3000 किलोवॉट) के नवनिर्माण हेतु 9.397 है0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभी द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपप्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्तसम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता – 4X3000 किलोवॉट) के नवनिर्माण हेतु 9.397 है0 वन भूमि का यू0 जे0 वि0 एन0 लिमिटेड खण्ड धारचूला प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी धारचूला (पिथौरागढ़)

सदस्य
क्षेत्र पंचायत 03 पांगला
वि0 ख0 धारचूला (पिथौरागढ़)

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति
तहसील धारचूला
जनपद– पिथौरागढ़

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
डीडीहाट
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

ग्राम्य विकास अधिकारी
क्षेत्र - धारचूला
तहसील-धारचूला
जिला-पिथौरागढ़

तहसीलदार
धारचूला

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति
तहसील धारचूला
जनपद– पिथौरागढ़

प्रपत्र– 23

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता – 4 X 3000 किलोवॉट) 10.236 है0 के नवनिर्माण हेतु वन भूमि हस्तातरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– बुंगबुंग तहसीलः– धारचूला जिलाः– पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता – 4 X 3000 किलोवॉट) के नवनिर्माण हेतु 0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 9.397 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 10.236 है0 वन भूमि का यू0जे0वि0एन0 लिमिटेड धारचूला, जिला पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बुंगबुंग द्वारा दिनांक 09–05–2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 की प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बुंगबुंग के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 10.236 हैक्टेयर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– 9-5-16
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
विकास खण्ड : धारचूला (पिथौरागढ़)

ह0/–
ग्राम प्रधान

Date ____________
Page ____________

उपस्थिति	प्र० सं०	की गयी कार्यवाही	हस्ताक्षर
से० राम तारा देवी सुशीला देवी विमला		माह के जन्म-मृत्यु पर चर्चा किया गया तथा नियमानुसार जन्म-मृत्यु का अंकन किया गया।	सुशीला देवी
अमिता देवी भास्कर दरपान सिंह पान सिंह नितु देवी भावना देवी कलावती देवी सरस्वती देवी विशु देवी कुशली देवी पार्वती देवी विमला देवी पानमती देवी रुपा देवी मालती देवी सरोज देवी गीता देवी लीला देवी उर्मिला देवी गोविन्दी देवी उषा देवी कलावती देवी मदन सिंह	4	लघु जल विद्युत परियोजना पर चर्चा।— आज की बैठक में तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना पर चर्चा किया गया जो कुगकुंग नदी से तांकुल तक बनायी जा रही है, बैठक में परियोजना से जुड़े सहायक अभियन्ता श्री उमेश जोशी जी द्वारा उपस्थित ग्राम वासियों को परियोजना से सम्बन्धित जानकारी दी गयी, समस्त ग्राम वासियों द्वारा जल विद्युत परियोजना बनाये जाने पर सहमति व्यक्त की तथा किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं की गयी, सभी ग्राम वासी उक्त परियोजना बनाये जाने पर सहमत है, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवगत कराया कि ग्राम कुंगकुंग में वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित कोई भी प्रकरण लम्बित नहीं है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।	अमिता दरपान पान नितु कला सर० कुशली पार्वती गीता कला
नयाराम सुभाष सिंह मोहन सिंह	5	डा० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना पर चर्चा। आज की बैठक में वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक डा० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव	नया० सुभा

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कुंगकुंग
विकास खण्ड : मूनाकोट (पिथौरागढ़)
प्रधान ग्राम पंचायत कुंगकुंग, पिथौरागढ़

उपस्थिति	प्र० सं०	की गयी कार्यवाही	हस्ताक्षर
श्रीमती गीता देवी प्रधान श्री डिगर सिंह ,, उमेश जोशी स०अभि० UJSN ,, गोविन्द परिहार (CAD UJSVN)		आज दिनांक 01-05-2016 को ग्राम सभा कुंगकुंग की खुली बैठक पूर्व सूचनानुसार प्रधान श्रीमती गीता देवी जी की अध्यक्षता में पंचायत घर सिमखोला में दिन के 2:00 बजे से आहूत की गयी, बैठक में कोरम पूर्ण होने के पश्चात निम्न कार्यवाही की गयी	गीता देवी (U.C. Joshi) A.E. [illegible]
डिगर सिंह मोहन सिंह सुभाष सिंह लक्ष्मण लक्ष्मी दत्त	1	गत कार्यवाही का वाचन एवं पुष्टि:- आज की बैठक में गत कार्यवाही का वाचन किया गया तथा सर्व सम्मति से पुष्टि की गयी,	D Singh मोहन सिंह [illegible] लक्ष्मण
महेन्द्र सिंह भरत सिंह हर सिंह गंगा राम गोपाल सिंह ईश्वर सिंह ~~जय सिंह~~ जय सिंह सुन्दर सिंह दौलत सिंह जमन सिंह रमेश कुमार वीरु सिंह बिशन सिंह वीरेन्द्र सिंह ईश्वर सिंह पान सिंह	2	आय-व्यय पर चर्चा:- आज की बैठक में गत वर्ष की आय-व्यय पर चर्चा किया गया, तथा आय-व्यय निम्न रहा, आय:- वर्ष के आय निम्न रहा, 1- राज्य वित्त से प्राप्त धनराशि ₹ 71000=00 2- 14वाँ वित्त से प्राप्त धनराशि ₹ 154000=00 3- स्वैप से प्राप्त धनराशि ₹ 280000=00 4- ब्याज प्राप्त ₹ 5396=00 व्यय- वर्ष में व्यय निम्न प्रकार रहा, 1 प्रधान जी का मानदेय भुगतान ₹ 15750=00 2- उप-प्रधान को मानदेय भुगतान ₹ 7500=00 3- पंचायत घर चारदिवारी निर्माण कार्य ₹ 50000=00 4- स्वैप की धनराशि UWSSC खाते में हस्तान्तरण ₹ 280000=00 उपरोक्त आय-व्यय की सर्व सम्मति से पुष्टि की गयी,	हरसिंह गंगाराम गोपाल सिंह ईश्वर सिंह जय सिंह सुन्दर सिंह दौलत सिंह जमन सिंह Ramesh [illegible] बिशन सिंह [illegible] Ishwar पान सिंह
गोविन्द राम [illegible] पार [illegible] भीर	3	जन्म-मृत्यु पर चर्चा:- आज की बैठक में	गोविन्द राम [illegible]

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कुंगकुंग
[illegible] (पिथौरागढ़)

ग्राम पंचायत कुंगकुंग
प्रधान
[illegible] (पिथौरागढ़)

निरापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तोंकुल लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता- 4X3000 किलोवॉट) 10.236 है० के भवनिर्माण हेतु निर्माण कार्य में अपनी नापभूमि निर्धारित / नियमानुसार मुआवजा के भुगतान होने पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है तथा भविष्य में भी नहीं रहेगी, हम हस्ताक्षर कर्ता अपनी स्वेच्छा से यह निरापत्ति प्रमाण पत्र संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर दे रहे हैं।

(18)

नाम	हस्ताक्षर
1- डिगरसिंह	[signature]
2- गोवर्धराम	गोवर्धराम
3- ईश्वर सिंह	ईश्वर सिंह
4- जोहार सिंह	जोहारसिंह
5- सरोज देवी	[signature]
6- गीता देवी	गीता देवी
7- पार्वती देवी	पार्वती देवी
8- विशना देवी	विशना
9- जयसिंह	जयसिंह
10- उषादेवी	उषा
11- विरमादेवी	विरमा
12- कलावती देवी	कलावती
13- मदनसिंह	मदनसिंह
14- पानसिंह	पानसिंह
15- गंगाराम	गंगाराम
16- सूरजसिंह	सुरजसिंह
17- जीवन सिंह	[signature]

ग्राम पंचायत ... प्रधान गीता देवी धारचूला (पिथौरागढ़)

(18) पानमती देवी	पा न म ती
(19) रमेश	Ramesh
(20) कलावती	कलावती देवी
(21) नितू	नितू देवी
(22) मालती	मालती देवी
(23) गीता देवी	गीता देवी
(24) संदीप सिंह	[illegible]
25 कठी भाई	Kithi

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड के जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता – 4 X 3000 किलोवॉट) 10.236 है0 के निर्माण में जनहित में जो भी वन पंचायत/वन भूमि विभाग द्वारा अधिकृत की जायेगी, उस पर ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है तथा भविष्य में ग्रामवासियों के द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति नही लगायी जायेगी।

ह0/–

सरपंच

ग्राम............................

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता) 4×3000 किलोवॉट 10.236 हे० के नवनिर्माण हेतु जनहित में जो भी सिविल वन भूमि/बन पंचायत की भूमि विभाग द्वारा अधिग्रहित की जायेगी इस पर ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नहीं है, तथा भविष्य में ग्राम वासियों के द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं लगायी जायेगी।

सुरनासिंह
सरपंच
वन पंचायत [illegible] सिमखोला
धारचूला (पिथौरागढ़)
[illegible] सिमखोला।

ग्राम प्रधान [illegible]
प्रधान
[illegible] धारचूला (पिथौरागढ़)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता – 4 X 3000 किलोवॉट) 10.236 है0 के निर्माण में जनहित में जो भी वन पंचायत/वन भूमि विभाग द्वारा अधिकृत की जायेगी, उस पर ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है तथा भविष्य में ग्रामवासियों के द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति नही लगायी जायेगी।

मदन सिंह
सरपंच
कुन्यासी

ग्राम पंचायत कुंगुं
गीता देवी
प्रधान
पिथौरागढ़

ह0/–
सुरन सिंह
सरपंच
वन पंचायत बंगबंग, सिमखोला
धारचूला (पिथौरागढ़)
सरपंच
ग्राम कुंगुं/सिमखोला

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता – 4X3000 किलोवॉट) 10.236 है० के नवनिर्माण हेतु जनहित में जो भी नाप भूमि (Muck Dumping Zone) मक डंपिंग जोन के लिए जो भूमि विभाग द्वारा अधिग्रहित की जायेगी उस भूमि पर मुझे नाप लैण्ड खेत भूमि या बंजर भूमि देने में कोई आपत्ति नहीं होगी तथा भविष्य में कोई भी आपत्ति नहीं लगायी जायेगी।

(1) Muck Dumping Zone के लिये नाप लैण्ड या बंजर भूमि का प्रमाण पत्र ग्राम – बुंगबुंग

1- नाम	
1 जिगर सिंह	[signature]
2 - विरेन्द्र सिंह	Bhinsc
3 - संदीप सिंह	[signature]
4 रूप सिंह	[signature]
5 सुरनसिंह	सुरनसिंह
6 रमेश कुमार	Ramesh
7 मोहन सिंह रौंकली	मोहनसिंह
8 ईश्वर सिंह नबियाल	ईश्वर सिंह
9 गगन सिंह रौंकली	गगनसिंह
10 हयात सिंह रावत	हयातसिंह
11 जयसिंह भण्डारी	जयसिंह
12 गोबडी राम	गोबडीराम
13 जया नबियाल	जयानब
14 गंगा राम	गंगाराम
15 रवीन राम	रवीनराम

विरेन्द्र सिंह
सदस्य
क्षेत्र पंचायत 03 यांगला
वि0 ख0 धारचूला (पिथौरागढ़)

सुरनसिंह
सरपंच
वन पंचायत बुंगबुंग सिमखोला
धारचूला (पिथौरागढ़)

[stamp: ग्राम पंचायत बुंगबुंग, प्रधान, धारचूला (पिथौरागढ़)]

(16) नेत्र सिंह भण्डारी	नत्र सिंह
(17) मदन सिंह	मदन सिंह
(18) खेतराम	खेतराम
(19) गोविन्द सिंह	Ramesh
(20) ऊषा देवी	ऊषा
(21) ललिता देवी	ललीता
(22) बिरमा देवी	बिरमा
(23) भागमती देवी	भ ग म ती
(24) कलावती देवी	कलावती देवी
(25) नीतू देवी	नितू देवी
(26) पार्वती देवी	पार्वती देवी
(27) मालती देवी	मालती
(28) गीता देवी	गीता देवी

[signature]

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक - 09-05-2016 के समय 13.30 P.M. ग्राम सभा - बुंगबुंग पट्टी - सिर्खा, तहसील - धारचूला, जिला - पिथौरागढ़ की खुली बैठक में सर्वसम्मति से विचार - विमर्श किया कि उक्त ग्राम सभा की नाप भूमि जो 4×3000 किलोवाट ताकुल जल विद्युत परियोजना के नव निर्माण हेतु कटी है। उसमें किसी ग्रामवासी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

विरेन्द्र सिंह
सदस्य
क्षेत्र पंचायत 03 पांगला
वि0 ख0 धारचूला (पिथौरागढ)

ग्राम पंचायत बुंगबुंग
प्रधान
वि0ख0 धारचूला (पिथौरागढ़)
गौरी देवी

ग्राम बुगंबुग, पट्टी- सिर्खा, तहसील धारचूला, जिला- पिथौरागढ़ हस्ताक्षरित कर यह लिखित रूप में प्रस्तावित तांकुल जल विद्युत परियोजना (4x3 मेगा वाट) के निर्माण में जनहित में पड़ने वाली राज्य सरकार की भूमि यू०जे०वी०एन० लि० धारचूला जिला- पिथौरागढ़ को प्रत्यावर्तन दे रहे हैं जो ग्राम बुंगबुंग में 19.0 हैक्टेयर राज्य सरकार की भूमि में वृक्षारोपण किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

गीता देवी

गीता देवी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत – बुंगबुंग
वि० ख० – धारचूला (पिथौरागढ)

प्रपत्र– 23

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता – 4 X 3000 किलोवॉट) 10.236 है0 के नवनिर्माण हेतु वन भूमि हस्तातरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– ताकुंल तहसीलः– धारचूला जिलाः– पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता – 4 X 3000 किलोवॉट) के नवनिर्माण हेतु 0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 9.397 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 10.236 है0 वन भूमि का यू0जे0वि0एन0 लिमिटेड धारचूला, जिला पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तांकुल द्वारा दिनांक 11–05–2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 की प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तांकुल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 10.236 हैक्टेयर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ह0/–

11-5-16

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव तांकुल
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड : धारचूला (पिथौरागढ़)

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत तांकुल
वि0 ख0 धारचूला (पिथौरागढ़)

PAGE ________
DATE ________

उपस्थिति	क्र० सं०	की गयी कार्यवाही	हस्ताक्षर
पूर्णिमा देवी कुलसी देवी जुना देवी नरेन्द्र सिंह मोहन कुमार सुनीता देवी आशा देवी जीवन सिंह बसन्ती देवी धौली देवी	3	जन्म मृत्यु पर चर्चा :- आज की बैठक मे जन्म-मृत्यु पर चर्चा किया गया तथा नियमानुसार जन्म-मृत्यु का अंकन किया गया,	पूर्णिमा आनंद सुनीता दे आश बसन्ती
	4	लघु जल विद्युत परियोजना पर चर्चा :- आज की बैठक मे तांकुल मे प्रस्तावित लघु जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध मे चर्चा किया गया, बैठक मे परियोजना के सहायक अभियन्ता श्री [illegible] जोशी जी द्वारा परियोजना के सम्बन्ध मे जानकारी दी गयी, उक्त परियोजना के निर्माण से पूरे क्षेत्र को विद्युत की समस्या से निजात मिलने की जानकारी दी गयी, बैठक मे उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना निर्माण मे किसी प्रकार की आपत्ति नही की गयी उक्त परियोजना निर्माण हेतु पूरे ग्राम सभा के लोग सहमत है तथा किसी को कोई आपत्ति नही है। बैठक मे उपस्थित सदस्यों द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत मे वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कोई भी मामला लम्बित नही है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित।	
	5	डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम ग्राम खुशहाल योजना पर चर्चा :- आज की बैठक	

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत तांकुल
विकास खण्ड : मुनस्यारी (पिथौरागढ़)

ग्राम पंचायत तांकुल
प्रधान
तांकुल
वि० ख० मुनस्यारी (पिथौरागढ़)

PAGE
DATE

उपस्थिति	क्र० सं०	की गयी कार्यवाही	हस्ताक्षर
श्री सोबनराम प्रधान		आज दिनांक 11-05-2016 को ग्राम सभा तांकुल की खुली बैठक पूर्व सूचनानुसार	सोबनराम
श्री किशनसिंह उप-प्रधान		प्रधान श्री सोबन राम जी की अध्यक्षता में पंचायत घर तांकुल धारचूला में दिन	
श्री उमेश जोशी AE (UJVNL)		के 2:00 बजे से आहूत की गयी, बैठक	(U.C. Joshi) AE
श्री गोविन्द पाण्डे (UJVNL)		में कोरम पूर्ण होने के पश्चात निम्न कार्यवाही की गयी,	
कृपालदत्त			कृपालदत्त
नारायणदत्त	1	गत कार्यवाही का वाचन एवं पुष्टि	नारायणदत्त
शंकरमनराम		आज की बैठक में गत कार्यवाही का वाचन किया गया तथा	शंकरमनराम
शोबनराम		सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी,	शोबनराम
धनीराम			धनी राम
इन्द्रसिंह			इन्द्र सिंह
विनोद राम	2	आय-व्यय पर चर्चा	विनोद राम
सोबनसिंह		आज की बैठक में गत वर्ष की आय-व्यय पर	सोबनसिंह
देवेन्द्रसिंह		चर्चा किया गया तथा आय-व्यय	
नारायणसिंह		निम्न रहा,	Narayan
जीवनराम		आय - वर्ष में आय निम्न रहा,	जीवनराम
विमलादेवी		राज्य वित्त से प्राप्त धनराशि ₹ 53000=00	बिमला
रेवतीदेवी		14वां वित्त से प्राप्त धनराशि ₹ 116000=00	
कालीदेवी		स्वजल से प्राप्त धनराशि ₹ 4740000=00	काली
शोभादेवी		ब्याज प्राप्त ₹ 27637=00	शोभा देवी
शकुन्तला		व्यय :- वर्ष में व्यय निम्न रहा,	शकुन्तला देवी
चौपतिदेवी		1- प्रधान को मानदेय भुगतान ₹ 15750=00	
रीतादेवी		2- उप-प्रधान को मानदेय भुगतान ₹ 5950=00	
पार्वती देवी		3- पंचायत घर हेतु फर्नीचर क्रय ₹ 15000=00	पार्वती देवी
गोविन्दीदेवी		4- पंचायत घर सुरक्षा दिवाल ₹ 82000=00	गोविन्दी
मोहनीदेवी		5- स्वजल की धनराशि (UWSSC) को स्थानान्तरण ₹ 4740000=00	मोहनी
दिव्यदेवी		उपरोक्त आय-व्यय	
...राम		सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी	...राम
...देवी			...देवी

ग्राम विकास अधिकारी
विकासखण्ड तांकुल
धारचूला (पिथौरागढ़)

ग्राम पंचायत तांकुल
सोबनराम
वि० ख० धारचूला (पिथौरागढ़)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक - 11-05-2016 को समय 13:30 P.M ग्राम सभा-लाकुंल, पट्टी-सिरखा, तहसील-धारचूला, जिला-पिथौरागढ़ की खुली बैठक में सर्वसम्मति से विचार किया कि उक्त ग्राम सभा की नाप भूमि जो 4×3000 किलोवाट लाकुंल जल विद्युत परियोजना के नव निर्माण हेतु करी है, उसमें किसी भी ग्रामवासी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

किशन सिंह
इन्द्र सिंह
दौलत सिंह
कल्याण सिंह
दान सिंह
कृपाल दत्त
मक्खन सिंह
रीता देवी
द्रोपती देवी
तुलसी देवी
गोविन्दी देवी
धाली देवी
बसन्ती देवी
रिजुली देवी
पार्वती देवी
जगत सिंह
नारायण सिंह
जीवन राम
अनिल राम
जोन्ती देवी
बुला राम
रेवी देवी
भगुली देवी
ऊमा देवी

इन्द्र सिंह
[illegible]
दौलत सिंह
[illegible]
दान सिंह
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
तुलसी देवी
[illegible] देवी
बसन्ती देवी
रिजुली देवी
[illegible]
[illegible]
जीवन राम
[illegible]
रेती देवी
भगुली देवी
[illegible] देवी

[illegible]
वन पंचायत लाकुंल
धारचूला (पिथौरागढ़)

ग्राम पंचायत लाकुंल
वि० ख० धारचूला (पिथौरागढ़)
सौरत राम

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित ताकुल जल विद्युत परियोजना क्षमता (4x3000 किलोवाट) 10.236 हैक्टेयर के नव निर्माण हेतु जनहित में जो भी नाप भूमि (Musk Damping Zone) मक डंपिंग जोन के लिये जो भूमि विभाग द्वारा अधिग्रहित की जायेगी उस भूमि पर मुझे नाप लैण्ड खेत भूमि या बंजर भूमि देने में कोई आपत्ति नहीं होगी तथा भविष्य में कोई भी आपत्ति नहीं लगायी जायेगी।

Musk Damping Zone के लिये नाप भूमि या बंजर भूमि का प्रमाण पत्र - ग्राम सभा- ताकुल।

नाम -

भगसिंह
इन्दसिंह
दुर्गतसिंह
कलाभीसिंह
दानसिंह
कपालदत्त
मकखनसिंह
रीता देवी
चंपली देवी
कुवसी देवी
गोविन्दी देवी
धौली देवी
बसन्ती देवी
खिमुली देवी
पूर्णिमा देवी
धनसिंह
नारायणसिंह
जीवनराम

दौलतसिंह
कौशल्या
दानसिंह
भैरवराम
बसन्ती देवी
खिमुली देवी
जमुना देवी
पूर्णिमा
जीवनराम

विरेन्द्र सिंह
सदस्य
क्षेत्र पंचायत 03 पांगला
वि0 ख0 धारचूला (पिथौरागढ़)

सरपंच
वन पंचायत ताकुल
धारचूला (पिथौरागढ़)

ग्राम पंचायत ताकुल
वि0 ख0 धारचूला (पिथौरागढ़)
सोबनराम

आगील

आगले राऊ
सोन्ना देवी
मुबारिक
रेवती देवी
मजुली देवी
पुष्पा देवी
नारायण दत्त
धनी राम
शोबन राम

श्यामा देवी
टुला राम
रेवती देवी
मंजुली देवी
पुष्पा देवी
नारायणदत्त
धनी राम
शोबन राम

निरापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित ताकुल जल विद्युत परियोजना क्षमता-(4x3000 किलोवाट) 10.236 हैक्टेयर के नव निर्माण हेतु निर्माण कार्य में अपनी नाप भूमि निर्धारित। नियमानुसार मुआवजा के भुगतान होने पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, तथा भविष्य में भी नहीं रहेगी। हम हस्ताक्षर कर्ता अपनी स्वेच्छा से यह निरापत्ति प्रमाण पत्र संयुक्त रुप से हस्ताक्षर कर दे रहे हैं।

नाम	हस्ताक्षर
1 - किशन सिंह	किशन सिंह
इन्द्र सिंह	इन्द्र सिंह
दौलत सिंह	दौलत सिंह
केशव सिंह	केशव
दान सिंह	दान सिंह
रूपाल दत्त	रूपाल दत्त
मक्खन राम	मक्खन राम
रीता देवी	[illegible]
द्रोपती देवी	[illegible]
तुलसी देवी	तुलसी देवी
गोविन्दी देवी	गोविन्दी देवी
धौली देवी	
बसन्ती देवी	बसन्ती देवी
खिमुली देवी	खिमुली देवी
पूर्णिमा देवी	मनमति सिंह
	पूर्णिमा
जगत सिंह	
नारायण दत्त	नारायण
जीवन राम	जीवनराम
अनिल राम	अनील
सोनाली देवी	सोनाली देवी
कुला राम	कुलाराम
	सोनाराम

किशन सिंह
सदस्य
क्षेत्र पंचायत 03 पांगला
वि0 ख0 धारचूला (पिथौरागढ)

[signature]
सरपंच
वन पंचायत कटुल
धारचूला (पिथौरागढ)

ग्राम पंचायत कटुल
वि0 ख0 धारचूला (पिथौरागढ)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित ताकुल जल विद्युत परियोजना क्षमता 4X3000 किलोवाट 10.236 हैक्टेयर के नवनिर्माण हेतु जनहित में जो भी सिविल वन भूमि / वन पंचायत की भूमि विभाग द्वारा अधिगृहित की जायेगी इस पर ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नहीं है, तथा भविष्य में ग्राम वासियों के द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं लगायी जायेगी।

ग्राम पंचायत तांकुल
वि० ख० धारचूला (पिथौरागढ़)

सरपंच
वन पंचायत तांकुल
धारचूला (पिथौरागढ़)